

वित्त लेखे, संघ सरकार  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT**

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2009, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2009 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग 117658.85 करोड़ रुपए और 113334.75 करोड़ रुपए थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2009 were Rs. 117658.85 crores and Rs.113334.75 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	11	
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Cooperation	521.82 (14)	521.82 (14)	—	0.16 (7)	—	—	521.66 (7)	0.05	—	—
वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES	1780.85 (6)	1031.50 (4)	749.35 (2)	1249.35 (3)	—	—	531.50 (3)	5.30	2.00	—

(करोड़ रुपयों में)  
(In crore of rupees)

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	58.69	58.69	—	1.58	—	—	57.11	—	—	—
	(2)	(2)					(2)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER

AFFAIRS, FOOD AND

PUBLIC DISTRIBUTION	34495.04	34495.04	—	0.02	—	—	34495.02	—	—	—
	(3)	(3)					(3)			

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industries	622.88	600.27	22.61	—	—	—	622.88	6.90	0.13	—
	(22)	(19)	(3)				(22)			

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय,

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

MINISTRY OF AGRO & RURAL

INDUSTRIES, KHADI & VILLAGE

INDUSTRIES COMMISSION	310.10	310.10	—	10.10	—	—	300.00	51.58	—	—
	(1)	(1)					(1)			

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS

AND FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and

Petrochemicals	994.95	979.23	15.72	—	—	—	994.95	49.79	—	—
	(6)	(6)					(6)			

वित्त लेखे, संघ सरकार  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	11	
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	195.00 (4)	195.00 (4)	—	—	—	—	195.00 (4)	1.95	1.95	—
जहाजरानी मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING	255.46 (1)	255.46 (1)	—	—	—	—	255.46 (1)	68.53	8.66	—
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	28.00 (3)	28.00 (3)	—	28.00 (3)	—	—	—	—	—	—
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	—	—	—	—	—	—	5.06	—	—	—

(करोड़ रुपयों में)  
(In crore of rupees)

(ii) शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

कृषि मंत्रालय-

MINISTRY OF AGRICULTURE—

कृषि और सहकारिता विभाग

Department of Agriculture and  
Cooperation

303.18	303.18	—	77.00	—	—	226.18	—	—	—
(8)	(8)		(2)			(6)			

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS AND  
FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and  
Petro Chemicals

100.00	100.00	—	—	—	—	100.00	2.00	2.00	—
(1)	(1)					(1)			

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

516.66	516.66	—	133.58	—	—	383.08	0.64	0.64	—
(16)	(16)		(4)			(12)			

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of  
Economic Affairs

8700.76	8500.76	200.00	3641.44	—	—	5059.32	13.61	13.61	—
(73)	(72)	(1)	(33)			(40)			

वित्त लेखे, संघ सरकार  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	11
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —									
भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry	525.98 (8)	525.98 (8)	—	261.99 (3)	—	—	263.99 (5)	—	—
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	8679.52 (16)	8679.52 (16)	—	—	—	—	8679.52 (16)	—	—
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	134.08 (4)	134.08 (4)	—	—	—	—	134.08 (4)	1.34	1.34

(करोड़ रुपयों में)  
(In crore of rupees)

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	448.40 (3)	448.40 (3)	—	—	—	—	448.40 (3)	4.48	4.48	—
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	320.90 (12)	320.90 (12)	—	6.46 (1)	—	—	314.44 (11)	0.41	0.41	—
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY										
दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS	409.00 (4)	409.00 (4)	—	—	—	—	409.00 (4)	46.28	—	—
<p>(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/ वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और निम्नलिखित कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की पूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:-</p> <p>(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc: —</p>										
नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	9598.24 (10)	6142.87 (8)	3455.37 (2)	164.82	—	—	9433.42 (10)	51.33	51.33	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	2247.36 (5)	2203.85 (5)	43.51	176.07	—	—	2071.29 (5)	28.65	25.34	—

वित्त लेखे, संघ सरकार  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	14985.34 (44)	12481.57 (39)	2503.77 (5)	1099.98 (2)	—	—	*17175.85 (42)	136.89	136.89	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	28539.96 (84)	23076.45 (66)	5463.51 (18)	794.86 (3)	—	—	*28036.87 (81)	27.12	27.12	—
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —  लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग Department of Small Scale Industries & Agro-Rural Industries	69.67 (3)	64.30 (3)	5.37	2.36	—	—	67.31 (3)	1.29	0.41	—

(करोड़ रुपयों में)  
(In crore of rupees)



नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND  
RENEWABLE ENERGY

735.91	602.74	133.17	51.38	—	—	684.53	7.05	7.05	—
(3)	(3)					(3)			

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

515.65	515.65	—	10.38	—	—	*528.50	1.17	1.17	—
(3)	(3)					(3)			

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

162.50	162.50	—	162.50	—	—	—	1.13	1.13	—
(1)	(1)		(1)						

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN  
DEVELOPMENT

755.09	588.48	166.61	40.66	—	—	714.43	4.92	4.92	—
(2)	(2)					(2)			

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

620.36	620.36	—	—	—	—	620.36	33.04	6.20	—
(9)	(9)					(9)			

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry

27.50	—	27.50	16.90	—	—	10.60	—	—	—
(2)		(2)	(1)			(1)			

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

\* विदेश विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण विद्युत मंत्रालय के लिए 3290.49 करोड़ रु., वित्त मंत्रालय के लिए 291.77 करोड़ रु. और इस्पात मंत्रालय के लिए 23.23 करोड़ रु. का अंतर था।

\* Difference due to variation in foreign exchange rates for Rs.3290.49 crores in respect of Ministry of Power, Rs. 291.77 crores in respect of Ministry of Finance and Rs.23.23 crores in respect of Ministry of Steel.

वित्त लेखे, संघ सरकार  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त  
**No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concl'd.**

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year  उन्मोचित Discharged	Outstanding at the end of the year  अननुमोचित Not Discharged	Guarantee Commission or Fee  प्राप्य Receivable	Other material details  प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(करोड़ रुपयों में)  
(In crore of rupees)

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN  
DEVELOPMENT

—      —      —      —      —      —      —      1.50      —      —

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry

—      —      —      —      —      —      —      0.17      —      —

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

— शून्य / NIL —